



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9792

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 286 सन् 2026

मेहरबान अली और अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : गुलरेज़ खान, परवेज़ हुसैन खान

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री गुलरेज़ खान और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालविया को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि निर्देश पर्याप्त हैं और वे प्रकरण पर बहस करने की स्थिति में हैं।
3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लिया जा रहा है।
4. याचिकाकर्तागण का कहना है कि उन्हें प्रारंभ में वर्ष 1995 में उर्दू अनुवादक/जूनियर क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया था और वे क्रमशः 31.10.2023 और 30.09.2025 को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सेवानिवृत्त हुए। याचिकाकर्तागण के अनुसार, पद के उन्नयन के बाद, वेतनमान में समय-समय पर वृद्धि की गई और अंत में 12.07.2021 को हुई स्क्रीनिंग समिति की बैठक में सिफारिश/विचार के आधार पर याचिकाकर्तागण को 19.07.2021 को एसीपी (वार्षिक वेतनमान) प्रदान किया गया। सेवानिवृत्ति के समय याचिकाकर्तागण को वेतन बैंड 9300-34800 रुपये और ग्रेड पे 4600 रुपये मिल रहा था। हालांकि, 09.12.2025 को प्रत्यर्थी संख्या 3, जिला विकास अधिकारी, बुलंदशहर द्वारा 19.07.2021 के आदेश को इस आधार पर वापस लेने का आदेश पारित किया गया कि याचिकाकर्तागण को एसीपी गलत तरीके से प्रदान किया गया था। उपर्युक्त प्रक्रिया ग्राम विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के दिनांक 23.07.2025 के पत्र और दिनांक 10.08.2022 के कार्यालय आदेश के आधार पर संचालित की गई थी।

5. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 के दिनांक 09.12.2025 के आक्षेपित आदेश द्वारा वेतनमान का पुनर्निर्धारण और परिणामस्वरूप वसूली प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और यह एकतरफा है। उन्होंने निवेदन किया है कि याचिकाकर्तागण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है।

6. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश को मान्य नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह धोखाधड़ी या छिपाव का प्रकरण नहीं है, और इसके अलावा, पूरी कार्रवाई एकतरफा और याचिकाकर्तागण की पीठ पीछे की गई है। याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइटर वॉशर) 2015 AIR (SC) 1267 और थॉमस डेनियल बनाम केरल राज्य और अन्य (2022) लाइव लॉ (SC) 438** के निर्णयों का हवाला दिया है। इसके अलावा, उन्होंने **भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ और अन्य (1994) 6 SCC 154** के निर्णय का हवाला देते हुए यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्तागण को सूचित किए बिना वसूली नहीं की जा सकती।

7. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि यद्यपि नियोक्ता के लिए गलती को सुधारना और उस राशि को वसूल करना हमेशा संभव है जो दी जा चुकी है और जिसे देना उचित नहीं था, फिर भी, उनके अनुसार, उचितता यह मांग करती है कि याचिकाकर्ता को इस बारे में सूचित किया जाना चाहिए था।

8. मैंने बार में दिए गए सभी तर्क सुन लिए हैं और अभिलेख का अध्ययन कर लिया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. स्पष्टतः, याचिकाकर्तागण को 31.10.2023 और 30.09.2025 को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले लाभ प्रदान किए गए थे; हालांकि, सेवानिवृत्ति के बाद, 09.12.2025 के आदेश के माध्यम से उन्हीं लाभों की वसूली की जा रही है।

10. न्यायालय की राय में, यद्यपि यह ऐसा प्रकरण हो सकता है जहाँ सेवानिवृत्ति से पहले वेतनमान के पुनर्निर्धारण के लिए प्रक्रिया शुरू की गई हो, कम से कम याचिकाकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए था और सर्वोच्च न्यायालय के रफीक मसीह (उपरोक्त) और थॉमस डेनियल (उपरोक्त) के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए एक सचेत निर्णय लिया जाना चाहिए था।

11. भगवान शुक्ला (उपरोक्त) प्रकरण में निम्नलिखित टिप्पणी की गई:

"3. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बात सुनी है। याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था, इस पर कोई विवाद नहीं है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 190 रुपये प्रति माह से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था, जो 18.12.1970 से पूर्वव्यापी रूप से लागू हुआ था। अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से दीवानी परिणामों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कमी के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विभाग द्वारा उसका वेतन कम करने से पहले उसे नोटिस भी नहीं दिया गया और यह आदेश उसकी पीठ पीछे, कानून में ज्ञात किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किया गया। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सुने भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। निष्पक्षता यह सुनिश्चित करती है कि ऐसा कोई भी आदेश, जिसका प्रभाव किसी कर्मचारी को दीवानी परिणामों का सामना करना पड़े, बिना संबंधित पक्ष को सूचित करना और प्रकरण में सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक था। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए दिनांक 25.7.1991 का आदेश (ज्ञापन), जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी, निश्चित रूप से मान्य नहीं हो सकता और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की याचिका खारिज करने में गलती की है। न्यायाधिकरण का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 17.9.1993 के आदेश के साथ-साथ न्यायाधिकरण



के समक्ष चुनौती दिए गए दिनांक 25.7.1991 के आदेश (जापन) को भी निरस्त करते हैं, जिसमें अपीलकर्ता का मूल वेतन 18.12.1970 से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये कर दिया गया था।

12. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण निम्नलिखित शर्तों पर किया जा रहा है:

ए. जिला विकास अधिकारी, बुलंदशहर (प्रत्यर्थी संख्या 3) द्वारा दिनांक 09.12.2025 को पारित आदेश रद्द किया जाता है। प्रकरण को संबंधित अधिकारियों को वापस भेजा जाता है ताकि वे रिट याचिकाकर्तागण को नोटिस देकर और उनका उत्तर प्राप्त करने के बाद नया आदेश पारित करें।

बी. संपूर्ण प्रक्रिया दो माह के भीतर पूरी की जाएगी। इसके बाद, आगे पारित होने वाले आदेशों के परिणाम के अधीन, रिट याचिकाकर्तागण के सेवानिवृत्ति लाभों का भी भुगतान किया जाएगा।

14 जनवरी, 2026

आर.एस. तिवारी

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)